संख्या: 960 /21-1-99(1)(4)/90

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त निगमों/परिषदों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

भाषा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 16 मार्च, 1999

विषय:- सरकारी कार्यों में द्वितीय राजभाषा उर्दू का कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रयोग ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भाषा विभाग की अधिसूचना संख्या: 4171/21-89-1-1989 दिनांक 7-10-1989 के अनुक्रम में शासनादेश सं0 4865/21-90-1(2)90 दिनांक 19 नवम्बर, 1990 द्वारा सात विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू के प्रयोग को अधिसूचित किया गया था जिसमें से निम्नलिखित प्रयोजनों का आपके द्वारा कड़ाई से अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की गयी थी :-

(1) उर्दू में अर्जियों और आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर ।
(2) उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबन्धन कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाना ।
(3) महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन ।
(4) महत्वपूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में प्रदर्शन ।

2- उपर्युक्त प्रथम व द्वितीय प्रयोजनों की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0 80(1)एम/47-का-4-94-18/18/94 दिनांक 20 अगस्त, 1994 द्वारा कुल 5061 उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद सृजित किये गये थे जिस पर नियुक्तियां भी की गयी हैं । परन्तु कर्मचारी उपलब्ध रहने पर भी विभिन्न कार्यालयों/विभागों द्वारा उर्दू में लिखित अर्जियों और आवेदन पत्रों को स्वीकार ही नहीं किया जाता है और जिन कार्यालयों/विभागों द्वारा स्वीकार भी किया जाता है, उनका उत्तर नहीं दिया जाता है । अतः जिन कार्यालयों में उर्दू अनुवादक तैनात हैं वहाँ उर्दू के प्रार्थना पत्रों का उर्दू में उत्तर दिया जाय ।

3- इस सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से शासन के संज्ञान में उपर्युक्त तथ्य आये हैं यह स्थिति उचित नहीं है । अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा ।

4- इस प्रकार बिन्दु सं0 (3) एवं (4) का भी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है ।

अतएव पुनः निर्देश दिया जाता है कि प्रसार-एक में विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें । यह भी निर्देश दिया जाता है कि इन आदेशों के अनुपालन/प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाय ।

भवदीय,

योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव

संख्या: 960(1)/21-1-99-1(4)/90, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, महामहिम, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।

3- समस्त मंत्रीगण के निजी सचिव ।
4- निबन्धक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ ।
4- सचिव विधान सभा/परिषद ।
6- सचिव, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद ।
7- सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(नीरा यादव)
प्रमुख सचिव

संख्या: 130 (2)/21-1-99-1(4)/98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अधिकारी ।
2- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(सत्यजीत ठाकुर)
विशेष सचिव